न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ (चूरू)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान गोपालपुरा

पीठासीन अधिकारी– ओमप्रकाश वर्मा,आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या– 39 / 2025
आदेश दिनांक : 27.06.2025
जी.सी.एम.एस. : 2025 / 93

1. दिनेश सोनी पुत्र रामचन्द्र सोनी जाति सोनी निवासी लाड़नूं जिला डीडवाना कुचामन ....

प्रार्थी

बनाम

1. दुर्गादत्त पुत्र रामदयाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज0)
2. मूलाराम पुत्र नारायण जाति नायक निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज0)
3. कन्हैयालाल पुत्र पीथाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज0)
4. चैनाराम पुत्र फैफाराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज0)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सुजानगढ़ जिला चूरू

........अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री बाबुलाल कीलका एडवोकेट प्रार्थी।

पैरोकार राज. राज्य पक्ष की ओर से।

2. अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

3.

—: निर्णय :—

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी का खेत खसरा संख्या 1361/548 तादादी 2.2887 हैक्टेयर ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। प्रार्थी के खेत की सीमा तथा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के खेत की सीमा मिलती है। प्रार्थी के आवेदन पर तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी की खातेदारी खेत ख0नं0 1361/548 का सीमाज्ञान दिनांक 05.01.2025 को किया गया। जिससे प्रार्थी को ज्ञात हुआ कि उसके खेतों की सीमा (सींव) खुर्द–बुर्द की हुई है। प्रार्थी अपने खातेदारी, कब्जा–काश्त की भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पुख्ता पत्थरगढ़ी के निशानात कायम करवाना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थीगण को कानूनी अधिकार प्राप्त है तथा आपसी रजामंदी से सींवे कायम होना सम्भव नहीं है, जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 वावजूद विधिवत तामील उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 05 पैरोकार राज ने प्रकरण में राजकीय पक्ष प्रभावित नहीं होने से कोई आपति नही होने का अंकन किया।

दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा–काश्त की भूमि खेत खसरा संख्या 1361/548 तादादी 2.2887 है0 वाके रोही ग्राम गोपालपुरा की भूमि की पैमाइश करवाई जाकर भूमि की सीमा जहां कायम होती है वहां पत्थरगढ़ी करवाई जाकर पुख्ता सीमाज्ञान के निशानात कायम करवाय जाये।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। सुसगंत विधि का अध्ययन किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 04 बावजूद विधिवत तामील उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी के सीमाज्ञान हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन किया गया। जिस पर पटवारी ने दिनांक 05.01.2025 को मौके पर जाकर सीमाज्ञान जरीब चलाकर करना चाहा

...की फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार ख0नं0 1361/548 के पूर्वी सीमा में नक्शे व मौके के ...में भिन्नता पायी गई व दक्षिणी सीमा में सींव में घुमाव है जिसे पत्थरगढ़ी के माध्यम ...ही सीधा किया जा सकता है। चूंकि पक्षकारान के मध्य सीमा को लेकर विवाद है तथा ...र्थी अपनी खातेदारी व कब्जा–काश्त की भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने ...का अधिकारी है, जिसका उसको कानूनन अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में न्यायालय ...र्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

—:आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 1361/548 रोही ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ की भूमि का नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर वर्तमान काश्त कटाई होने के बाद नियमानुसार पैमाइश करवाई जाकर भूमि की सीमा जहां कायम होती है वहां पत्थरगढ़ी करवाई जाकर पुख्ता सीमाज्ञान के निशानात कायम करवाया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.06.2025 को लिखाया जाकर पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान गोपालपुरा में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ (चूरू)